कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

नीलामी-सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज के नवनिर्मित 18 न्यायालय भवन स्थित मामो कासगंज में कार/मोटरसाइकिल/साइकिल स्टैण्ड,केन्टीन एवं फोटो स्टेट हेतु वित्तीय वर्ष-2019-2020 (दिनाक- 01-04-2019 से 31-03-2020 के लिए) ठेके की नीलामी दिनांक 26-03-2019 को समय 4.00 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के मीटिंग हॉल में की जाएगी, इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते है, ठेको का विवरण एवं शर्ते के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है ।

कार/मोटरसाइकिल/साइकिल स्टैण्ड,केन्टीन एवं फोटो स्टेट हेतु वित्तीय वर्ष-2019-2020 (दिनाक-01-04-2019 से 31-03-2020 के लिए) नियम व् शर्तें:-

1- ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2019-2020 दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक रहेगी ।

2- सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगाल ।

3- ठेके की धनराशि का 1/2 भाग उसी समय जमा करना होगा,तथा शेष 1/2 भाग माह अक्टूबर 2019 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा ।

4- प्रत्येक बोलीदाता को अकंन 20000/- रुपये बोली बोलने से पूर्व जमा करने होंगे तथा साथ में अपना आई.डी. प्रूफ प्रस्तुत करना होगा ।

5- बोली बोलने वाला व्यक्ति काली सूची के अन्तर्गत न आता हो, कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन हो ।

6- बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायधीश कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा ।

7- ठेकेदार को, अपनी दुकान व आस -पास की साफ़-सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रपत्र स. 139 दिनांकित 18-03-1979 के अनुसार प्रत्येक सामान की दर सूची प्रभारी अधिकारी नाज़रात जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगानी होगी, जहा से प्रत्येक ग्राहक सूची को आसानी से देख सके।

8- ठेकेदार ठेके की अवधि में उपयोग की गयी विद्युत का खर्चा स्वयं वहन करेगा ।

9- ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गये ठेके की धनराशि के मूल्य के ज़मानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र स.-31/एस दिनांकित 16-03-1988 में दी गयी शर्तो के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/- रूपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा ।

दिनांक- 8- 03-2019

(कृपा शंकर शर्मा)
अध्यक्ष प्रशासनिक समिति /प्रथम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कासगंज।

Cont..........

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O.No.562/उन्नीस-2-2007-1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

2-18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

3-कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु ।

4-समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु ।

5-नोडल अधिकारी कंप्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु ।

दिनांक - 8- 03-2019

(कृपा शंकर शर्मा)
अध्यक्ष प्रशासनिक समिति /प्रथम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कासगंज।